रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062022-236728
CG-DL-E-22062022-236728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2022/ज्येष्ठ 31, 1944
No. 442]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2022/JYAISHTHA 31, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 463.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 194ख, धारा 194झक, धारा 194द, धारा 194ध और धारा 206कख के साठ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 196 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,-

(क) 1 जुलाई, 2022 से नियम 30 में,-

(i) उपनियम (2ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(2घ) उपनियम (1) या उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194ध में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उस धारा के अधीन कटौती की गई किसी धनराशि को केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में उस मास के अंत में जिसमें कटौती की गई है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त किया जाएगा और उसके साथ प्ररूप सं. 26थङ में चालान-सह-विवरण होगा ।" ;

(ii) उपनियम (6ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6घ) जहां कटौती किए गए कर के साथ प्ररूप सं. 26थङ में चालान-सह-विवरण संलग्न है, वहां इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में उपनियम (2घ) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से विप्रेषित केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की जाएगी ।

(ख) उपनियम (31) में उपनियम (3ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम 1 जुलाई, 2022 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3घ) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 194ध में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्ति है और उस धारा के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है प्ररूप सं. 16ङ में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र पाने वाले को नियम 31क के अधीन प्ररूप सं. 26थङ में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पंद्रह दिन के भीतर प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से उसे सृजित और डाउनलोड करने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा ।" ;

(ग) 1 जुलाई, 2022 से नियम 31क में-

(i) उपनियम (4) में खंड (xvi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(xvii) जमा की गई रकम की विशिष्टियां प्रस्तुत करें जिसे जारी करने की पूर्वापेक्षा है :-

(क) धारा 194ख के परन्तुक के निबंधनों में प्राप्त करना ;

(ख) धारा 194द की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के निबंधनों में लाभ या पूर्वापेक्षा ; और

(ग) चालान ब्यौरे के साथ धारा 194ध की उपधारा (1) के परन्तुक के निबंधनों में विचारणा जैसे कि बैंक बीएसआर कूट संदाय की तारीख और चालान क्रम सं. ।"

(ii) उपनियम (4ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4घ) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 194ध में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्ति है और उस धारा के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है, उस माह के अंत से जिसमें कटौती की गई है, तीस दिनों के भीतर उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्ररूपों और मानकों के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप सं. 26थङ में चालान-सह-विवरण को प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा ।

3. मूल नियम में परिशिष्ट II में प्ररूप सं. 16घ के पश्चात् 1 जुलाई, 2022 से निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 16ङ

[नियम 31 (3घ) देखें)]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं.	तारीख........को अंतिम बार अद्यतन किया गया
कटौतीकर्ता का नाम और पता	**कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता**

कटौतीकर्ता का स्थायी खाता सं. या आधार सं.	**कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का स्थायी खाता सं. या आधार सं.**	**कटौती का वित्तीय वर्ष**

संव्यवहार (रों) का सार

क्रम सं.	**विशिष्ट अभिस्वीकृति सं.**	**संदत्त/जमा की गई रकम**	**संदाय/जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)**	**कटौती किए गए कर की रकम और कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया**
कुल (रू.)				

कटौती किए गए और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा, जिसके लिए कटौती किए गए व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाना है

क्रम सं.	**कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किए गए कर की रकम(रू.)**	**चालान पहचान संख्यांक (सीआइएन)**		
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	**वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)**	**चालान क्रम संख्यांक**
1.				
2.				
कुल (रु.)				

सत्यापन

मैं, ……………., पुत्र/पुत्री………… जो…………. (पदनाम) की हैसियत में हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ....रु. [....................रु. (शब्दों में)] की राशि कटौती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की गई है। मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, कर की कटौती चालान-सह-कथन, जमा किए गए टीडीएस और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्य, पूर्ण और सही है।

स्थान		**(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)**
तारीख		**पूरा नाम:** ".

4. मूल नियम के परिशिष्ट II में, प्ररूप सं. 26थ में, 1 जुलाई, 2022 से—

(क) *"[धारा 192क, धारा 193, धारा 194, धारा 194क, 194ख, 194खख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194घक, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ठक, धारा 194ठकख, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ढ़, धारा 194-ण, धारा 194त, धारा 194थ, धारा 197क, धारा 206कक, धारा 206कख और नियम 31क देखें]"*, कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"[धारा 192क, धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194घक, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194-झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठक, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ढ़, धारा 194-ण, धारा 194त, धारा 194थ, धारा 194द, धारा 194ध, धारा 197क, धारा 206कक, धारा 206कख और नियम 31क देखें]";

(ख) "उपाबंध" के स्थान पर निम्नलिखित "उपाबंध" रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उपाबंध : *टीडीएस के कटौती किए जाने वाले व्यक्ति/पाने वाले व्यक्ति वार विवरण*

(कृपया मुख्य प्ररूप 26थ की क्रम सं. 4 पर सारणी में प्रत्येक पंक्ति-मद के लिए पृथक उपाबंध प्रयोग करें)

अंतिम तिमाही के दौरान संदत्त/प्रत्यय की गई रकम...........(दिन/मास/वर्ष) और स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड/प्ररूप सं. 24छ की प्राप्ति सं.			
वह तारीख जिसको चालान जमा किया गया है/वाउचर अंतरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)			
चालान क्रम सं./ प्ररूप सं. 24छ की डीडीओ क्रम सं.			
चालान के अनुसार रकम			
सीओएल. 421 उर्ध्व कुल के अनुसार कटौती की जाने वाले व्यक्ति/पाने वाली व्यक्ति के बीच आबंटित किए जाने वाले कुल कर			
नीचे उल्लिखित कटौती की जाने वाले व्यक्ति/पाने वाली व्यक्ति के बीच आबंटित किए जाने वाले कुल कर			

कटौतीकर्ता/संदायकर्ता का नाम	
टीएएन	

क्रम सं.	कटौतीकर्ता/संदायककर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई कटौती किए जाने वाले व्यक्ति/पाने वाले व्यक्ति की संदर्भ सं. यदि उपलब्ध हो	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति/पाने वाले व्यक्ति का कूट (कंपनी-01 कंपनी के सिवाय 02)	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति/पाने वाले व्यक्ति का पैन	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति/पाने वाले व्यक्ति का नाम	खंड कोड (टिप्पण 17 देखिए)	संदाय या प्रत्यय की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	संदत्त या प्रत्यय की गई रकम	धारा 194ढ में यथाविनिर्दिष्ट 1 करोड़ से अधिक के नकद प्रत्याहरण की रकम (उस मामले में जहां यह धारा के पहले परन्तुक में नहीं आता है)	धारा 194ढ के पहले परन्तुक के खंड (ii) के उपखंड (क) में आने वाले ऐसे मामले में नकद प्रत्याहरण की रकम जो 20 लाख से अधिक है किंतु 1 करोड़ से कम है।	धारा 194ढ के पहले परन्तुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) में आने वाले मामले में 1 करोड़ रु. से अधिक नकद प्रत्याहरण की रकम	कटौती किया गया कुल कर	जमा किया गया कुल कर	कटौती की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	वह दर जिसर पर कटौती की गई है
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419क]	[419ख]	[419ग]	[420]	[421]	[422]	[423]
1														
2														
3														
कुल														

कटौती न करने/निम्नतर कटौती/उच्चतर कटौती/अवसीमा/परिवहन आदि, हेतु कारण (टिप्पण 1 से टिप्पण 16 देखें)	कटौती न करने/निम्नतर कटौती करने हेतु धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की संख्या	यदि धारा कोड 94ख-त का चयन किया जाता है तो निम्नलिखित उपलब्ध करें				यदि धारा कोड 94द-त का चयन किया जाता है तो निम्नलिखित उपलब्ध करें				यदि धारा कोड 94ध-त का चयन किया जाता है तो निम्नलिखित उपलब्ध करें			
		निक्षेपित कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्यांक	निक्षेपित कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्यांक	निक्षेपित कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्यांक
[424]	*[425]*	*[426क]*	*[426ख]*	*[426ग]*	*[426घ]*	*[427क]*	*[427ख]*	*[427ग]*	*[427घ]*	*[428क]*	*[428ख]*	*[428ग]*	*[428घ]*

सत्यापन

मैं, ...प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त प्रस्तुत की गई सभी प्रविष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान :..........................

....

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: :..........................

....

स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण :

1. धारा 197 के अधीन किसी प्रमाणपत्र के कारण यदि “निम्नतर कटौती ”या “कोई कटौती नहीं ”है, तो “क ”लिखें।

2. धारा 197क की उपधारा (1च) में उल्लिखित मामलों से भिन्न धारा 197क के अधीन घोषणा के कारण यदि कोई कटौती नहीं है, तो “ख ”लिखें।

3. पैन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 206कक के अधीन यदि उच्चतर दर पर कटौती है, तो “ग”लिखें।

4. धारा 194क की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के कारण यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए संदाय के कारण कोई कटौती नहीं है या निम्नतर कटौती है, तो “घ”लिखें।

5. यदि बोर्ड परिपत्र संख्या 2002 का 3, तारीख 28 जून, 2002 या बोर्ड परिपत्र संख्या 2002 का 11, तारीख 22 नवंबर, 2002 या बोर्ड परिपत्र संख्या 18/2017 तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किए जाने वाले संदाय के कारण कोई कटौती नहीं है, तो “ड.”लिखें।

6. आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट अवसीमा से निम्न संदाय के कारण कोई कटौती नहीं है, तो “म”लिखें।

7. यदि कटौतीकर्ता या आदाता के परिवाहक होने के कारण कोई कटौती नहीं है, तो “न”लिखें। कटौतीकर्ता या आदाता का पैन अनिवार्य है {धारा 194ग (6)}

8. धारा 197क(1च) के अधीन संदाय के अधिसूचित होने के कारण यदि कोई कटौती नहीं है या निम्नतर कटौती है, तो “य” लिखें।

9. धारा 194ढ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी की गई अधिसूचना के कारण यदि कोई कटौती नहीं है या निम्नतर कटौती है, तो “ड”लिखें।

10. धारा 194ढ के तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किए संदाय के कारण या धारा 194ढ के चौथे परंतुक के अधीन जारी की गई अधिसूचना के कारण कोई कटौती नहीं है या निम्नतर कटौती है, तो “ढ”लिखें।

11. धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार यदि कोई कटौती नहीं है, तो “ण”लिखें।

12. धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास को किए गए लाभांश संदाय के कारण या धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (ड.) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कटौती नहीं है, तो “त”लिखें।

13. धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (*x*) में निर्दिष्ट किसी इकाई को किए गए संदाय को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कटौती नहीं है, तो “थ”लिखें।

14. धारा 194थ की उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कटौती नहीं है, तो “ध”लिखें।

15. आयकर विवरणी फाइल न करने के लिए धारा 206कख को ध्यान में रखते हुए यदि उच्चतर दर पर कटौती है, तो “न” लिखें।

16. धारा कोडो की सूची निम्नानुसार है :-

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज	94A
194ख	लॉटरी या वर्ग पहेली से जीत	94ख
धारा 194ख का परंतुक	लॉटरी या वर्ग पहेली से जीत जहां वस्तु रुप में या नकद रुप में दिया प्रतिफल कर के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसी जीत का संदाय करने से पूर्व कर का संदाय कर दिया गया है।	94ख-त
194खख	घुड़दौड़ से जीत	4खख
194ग	ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को संदाय	94ग

194घ	बीमा कमीशन	94घ
194घक	जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में संदाय	4घक
194ड.ड.	राष्ट्रीय बचत स्कीम, आदि के अधीन निक्षेपों की बाबत संदाय	4ड.ड.
194च	पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के पुन:क्रय मद्दे संदाय	94च
194छ	लॉटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन आदि	94छ
194ज	कमीशन या दलाली	94ज
194-झ(क)	किराया	4-झक
194-झ(ख)	किराया	4-झख
194ञ(क)	तकनीकी सेवाओं (जो वृत्तिक सेवा न हो) के लिए फीस , स्वामिस्व के विक्रय, चलचित्र फिल्म और कॉल सेंटर का वितरण या प्रदर्शन *(@2%)*	94ञ-क
194ञ(ख)	वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या स्वामिस्व आदि *(@10%*	94Jञ-ख
194ट	यूनिटों के संबंध में आय	94ट
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय	4ठक
194ठखक(क)	किसी कारबार न्यास की यूनिटों से किसी निवासी को ब्याज के रुप में कतिपय आय	4खक1
194ठखक(ख)	किसी कारबार न्यास की यूनिटों से किसी निवासी को लाभांश के रुप में कतिपय आय	4खक2
194ठख	विनिधान की निधि की यूनिटों के संबंध में आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में आय	ठखग
194ढ	नकद रुप में कतिपय रकमों का संदाय	94ढ
धारा 194ढ का पहला परंतुक	आयकर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों को नकद रुप में कतिपय रकमों का संदाय	94ढ-च
194-ण	ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागियों को कतिपय राशियों का संदाय	94ण
194त	विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों की दशा में कर की कटौती	94त
194थ	माल क्रय के लिए कतिपय राशियों का संदाय	94थ
194द	कारबार या वृत्तिक की बाबत फायदे या परिलब्धि	94द
धारा 194द की उपधारा (1) का पहला परंतुक	कारबार या वृत्तिक के फायदे या परिलब्धियां जहां ऐसा फायदा वस्तु रुप में उपलब्ध किया गया है या नकद रुप में उपलब्ध कराया गया भाग कर के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और ऐसे फायदे को निर्मुक्त करने से पूर्व कटौती किए जाने वाला अपेक्षित कर संदत्त कर दिया है *	94द-त
194ध	विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा वर्चुअल डिजिटल आस्ति का अंतरण करने के लिए प्रतिफल का संदाय *	94ध
धारा 194ध की उपधारा (1) का परंतुक	वर्चुअल डिजिटल आस्ति का अंतरण करने के लिए संदाय जहां संदाय वस्तु रुप में है या दूसरी वर्चुअल डिजिटल आस्ति के विनिमय के लिए है और ऐसा संदाय निर्मुक्त करने से पूर्व कटौती किए जाने वाला अपेक्षित कर संदत्त कर दिया है *	94ध-त

*टिप्पण— धारा 194द और धारा 194ध के संबंध में परिवर्तन 1 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होंगे।".

5. मूल नियमों में, परिशिष्ट 2 में, प्ररुप थख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररुप सं. 26थख

[धारा 194-झक, नियम 30 और नियम 31क देखें]

धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती का चालान–सह–विवरण

वित्तीय वर्ष					-			मुख्य शीर्ष कोड *						लघु शीर्ष कोड *		

अंतरिती/दाता/क्रेता का स्थायी खाता संख्याक या आधार संख्यांक			
स्थायी खाता संख्यांक प्रवर्ग *		पैन की प्रास्थिति *	
अंतरिती /दाता/क्रेता का पूरा नाम			
अंतरिती/दाता/क्रेता का पूरा पता			
		पिन	
मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी	
क्या एक से अधिक अंतरिती/दाता/क्रेता हैं (हां/नहीं)			
अंतरणकर्ता/आदाता/ विक्रेता का स्थायी खाता संख्याक या आधार संख्यांक			
स्थायी खाता संख्यांक का प्रवर्ग *		पैन की प्रास्थिति *	
अंतरणकर्ता/आदाता/ विक्रेता का पूरा नाम			
अंतरणकर्ता/आदाता/ विक्रेता का पूरा पता			
		पिन	
मोबाइल सं.		ई-मेल आई डी	
क्या (अंतरक/पाने वाले/ विक्रेता एक से अधिक हैं (हां/नहीं)			
अंतरित संपत्ति का पूरा पता			
		पिन	

करार/बुकिंग की तारीख**		प्रतिफल का कुल मूल्य (रकम रुपए में)		किस्त या एकमुश्त राशि में संदाय	
क्या टीडीएस धारा 206 कख के अनुसार ऊंची दर पर काटा गया है (हां/ या नहीं)***					
क्या यह अंतिम किश्त है ?	हां ☐ नहीं ☐				

पिछली किस्त में संदत्त/ प्रत्यय की कुल रकम, यदि हां (रू0 में) (क)	<u>वर्तमान में संदत्त/ प्रत्ययित की गई रकम</u> <u>(ख)</u>	<u>संपत्ति के मूल्य का कुल स्टांप-शुल्क (रू0 में)</u> <u>(ग)</u>	<u>रकम जिस पर</u> टीडीएस काटा जाना है (घ) (टिप्पण 1 देखें)	संदाय/ प्रत्यय की तारीख	वह दर जिस पर कटौती की गई है (टिप्पण 2 देखें)	स्रोत पर कर कटौती की रकम (टिप्पण 3 देखें)	कटौती की तारीख**

क्या स्टांप-शुल्क का मूल्य विक्रय प्रतिफल से अधिक है	हां ☐ नहीं ☐			
निक्षेप की तारीख**		संदाय का ढंग	साथ साथ ई-कर संदाय ☐	पश्चात्वर्ती तारीख पर ई-कर संदाय ☐
स्रोत पर कर कटौती के संदाय के ब्यौरे (रकम रू0 में)				
टीडीएस (आय कर) (वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई है, के कर का प्रत्यय इस रकम के				

लिए दिया जाएगा)					
ब्याज					
शुल्क					
कुल संदाय					
कुल संदाय शब्दों में (रू0 में)					
करोड़	लाख	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
विशिष्ट अभिस्वीकृति (टिन द्वारा सृजित)					

*स्वतः अद्यतन किया जाए

**दिदि/मम/वव के प्ररुप में

*** 1 अप्रैल, 2022 से, धारा 194-झक के अधीन कर कटौती के मामले में धारा 206कख के उपबंध लागू नहीं हैं ।

टिप्पण

1.(क) किस्त के मामले में, जहां यह अंतिम किस्त नहीं हैं, (क+ख);

(ख) अन्य मामले में (अर्थात्, अंतिम किस्त या एकमुश्त संदाय) (क+ख) या(ग), जो भी अधिक हो ।

2. ऊंची दर पर कर की कटौती के मामले में धारा 206कख के उपबंध लागू हैं ***

3. (क) किस्त के मामले में, जहां यह अंतिम किस्त नहीं है, (क+ख) पर टीडीएस जैसा कि पहले वाली किस्तों में टीडीएस द्वारा कटौती की गई है, यदि कोई हो।";

(ख) अन्य मामले में (अर्थात् अंतिम किस्त या एकमुश्त राशि का संदाय),(क +ख) या (ग) पर टीडीएस जो भी अधिक हो, जैसा कि पहले वाली किस्तों पर संदत्त टीडीएस द्वारा कम किया गया है, यदि कोई हो।"

6. मूल नियम में, उपाबंध 2 में प्ररूप 26थग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररुप सं. 26थग

[धारा 194 झख, नियम 30(2ख) और (6ख) और नियम 31क (4ख) देखें)]

धारा 194 झख के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष		मुख्य शीर्ष कोड*	2	0	लघु शीर्ष कोड*	8	0	0
अभिधारी/पट्टेदार/संदायकर्ता का [स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या]								
अभिधारी/पट्टेदार/संदायकर्ता का पूरा नाम*								
अभिधारी/पट्टेदार/संदायकर्ता का पूरा पता								
				पिन				
मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी						
जहां एक से अधिक अभिधारी/पट्टेदार/संदायकर्ता हैं (हां/नहीं)								
भूस्वामी/पट्टाकर्ता/पानेवालों का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या								
स्थायी खाता संख्या का प्रवर्ग *		स्थायी खाता संख्या की स्थिति*						

भूस्वामी/पट्टाकर्ता/पानेवालों का पूरा नाम					
भूस्वामी/पट्टाकर्ता/पानेवालों का पूरा पता					
			पिन		
मोबाइल नं.		ई-मेल आईडी			
क्या भूस्वामी/पट्टाकर्ता/ पानेवाले एक से अधिक हैं (हां/नहीं)					
किराए पर दी गई संपत्ति का पूरा पता					
			पिन		
किराएदारी की अवधि***		संदत्त किराए का कुल मूल्य (रू0 में)		अंतिम महीने में संदत्त किराए का मूल्य (रकम रूपए में)	
क्या धारा 206कख के अनुसार उच्चतर दर पर टीडीएस काटा गया है (हां/नहीं)****					
संदत्त/प्रत्ययित रकम (रू0में)	संदाय/प्रत्यय की तारीख**	दर जिस पर कटौती की गई है (टिप्पण 1 देखें)	स्रोत पर काटी गई कर की रकम	कटौती की तारीख**	
निक्षेप की तारीख**		संदाय का ढंग	साथ साथ ई-कर संदाय		
			पश्चात्वर्ती तारीख पर ई-कर संदाय		

स्रोत पर कर कटौती के संदया के ब्यौरे (रकम रु. में)	
टीडीएस (आय कर) (वह व्यक्ति जिसकी कटौती गई है, के कर का प्रत्यय इस रकम के लिए दिया जाएगा)	
ब्याज	
शुल्क	
कुल संदाय	
कुल संदाय शब्दों में(रू0 में.)	

करोड़	लाख	हजार	सैंकड़ा	दहाई	ईकाई

*स्वतः अद्यतन किया जाए

**दिदि/मम/वव के प्ररुप में

****किराएदारी की अवधि के सामने, वित्तीय वर्ष के लिए किराए पर दी गई संपत्ति के महीनों की संख्या उल्लिखित की जा सकेगी।*

**** 1 अप्रैल, 2022 से, धारा 194-झक के अधीन कर कटौती के मामले में धारा 206कख के उपबंध लागू नहीं हैं।

टिप्पण :ऊंची दर पर कर की कटौती के मामले में धारा 206कख के उपबंध लागू हैं ***"।

7. मूल नियम में उपाबंध 2 में प्ररूप 26 थघ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररुप सं. 26थघ

[धारा 194 ड, नियम 30(2ग) और नियम 30 (6ग) और नियम 31क (4ग) देखें)]

धारा 194 ड के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष	-	मुख्य शीर्ष कोड*		लघु शीर्ष कोड*	
कटौतीकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार					
कटौतीकर्ता का पूरा नाम*					
कटौतीकर्ता का पूरा पता					
					पिन
मोबाइल नं.		ई-मेल आईडी			
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई है का स्थायी खाता संख्या पैन) या आधार सं.					
पैन का प्रवर्ग*				पैन की स्थिति*	
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई है का पूरा नाम					
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई है का पूरा पता					
					पिन
मोबाइल नं.		ई-मेल आईडी			
संदाय की प्रकृति (संविदा/कमीशन/दलाली या वृत्तिक सेवाओं के लिए शुल्क के अनुसरण में कार्य)					
संविदा/करार की तारीख **		1 अप्रैल से महीने के अंत तक की अवधि के दौरान संकलित संदाय/प्रत्यय जिसमें संदाय प्रत्ययित किया गया है ।			
क्या यह धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के खाते पर कटौती नहीं की गई/कम कटौती का मामला है (हां/नहीं में चिह्न लगाएं)	☐ ☐	हां नहीं	कटौती नहीं की गई या कम कटौती के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन जारी किए गए प्रमामपत्र की संख्या		
क्या टीडीएस धारा 206कख के अनुसार उच्चतर दर पर काटा जाता है (हाँ/नहीं)***					

संदत्त/प्रत्यय की गई रकम (रु.में)	संदाय/प्रत्यय की तारीख**	वह दर जिस पर कटौती की गई (टिप्पण 1 देखें)	स्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम	कटौती की तारीख**

जमा की तारीख**		संदाय का ढंग	साथ-साथ ई-कर संदाय
			पश्चातवर्ती तारीख पर ई-कर संदाय

स्रोत पर कटौती किए गए कर के संदाय के ब्यौरे (रु.में रकम)

टीडीएस (आयकर) (वह व्यक्ति जिस की कटौती की गई हो, इस रकम के कर का प्रत्यय दिया जाएगा)

ब्याज

फीस

कुल संदाय

शब्दों में कुल संदाय (रु.में)

करोड़	लाख	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

*स्वत: अद्यतन किया जाए

**दिन दिन/माह माह/ वर्ष वर्ष रुपविधान में ।

***धारा 206 क ख के उपबंध 1 अप्रैल 2022 से, धारा 194 ड के अधीन कटौती के मामले में लागू नहीं हैं ।

टिप्पण: धारा 206 क ख के उपबंधों के मामले में उच्चतर दर पर कटौती किया गया कर लागू।***”।

8. मूल नियमों की, परिशिष्ट 2 में, प्ररुप 26 थ घ के पश्चात्, 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी निम्नलिखित प्रारुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“प्ररुप सं. 26थङ

[धारा 194 ध, नियम 30 (2घ) और (6घ) और नियम 31 क(4) और (4घ) देखें]

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा धारा 194 ध के अधीन कर कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष	-	मुख्य शीर्ष कोड*		लघु शीर्ष कोड*	
व्यक्ति जिसकी कटौती की गई हो उसकी स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या					
स्थायी खाता संख्या के प्रवर्ग*			पैन की प्रास्थिति*		
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई हो उसका पूरा नाम					
वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई हो उसका पूरा पता					
			पिन		
मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी			
कटौतीकर्ता की स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या					
स्थायी खाता संख्या का प्रवर्ग*			पैन की प्रास्थिति*		
कटौतीकर्ता का पूरा नाम					
कटौतीकर्ता का पूरा पता					
			पिन		
मोबाइल सं.		ई-मेल आईडी			
वर्चुअल डिजिटल आस्ति (वीडीए) के अंतरण की तारीख		प्रतिफल का कुल मूल्य (रु.में रकम)		क्या अन्य वीडीए का वस्तु के रुप में या विनिमय के रुप में संदाय किया गया है	हाँ ☐ नहीं ☐
यदि हाँ, तो उपबंधित करे		चालान पहचान संख्या	बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया	चालान क्रम संख्या
संदत्त कर की रकम (रु.में)					
किसी अन्य वीडीए को संदत्त/प्रत्यय की गई रकम या तो नकद या वस्तु के रुप में या विनिमय के रुप में (रु.में)	संदाय/प्रत्यय की तारीख **	वह दर जिस पर कटौती की रकम	स्रोत पर कटौती किए गए की कर रकम	कटौती की तारीख**	
जमा की तारीख**		संदाय का ढंग		साथ-साथ ई-कर संदाय	
				पश्चात्वर्ती तारीख पर ई-कर संदाय	
स्रोत पर कटौती किए गए कर के संदाय के ब्यौरे (रु.में रकम)					

<table>
<tr><td colspan="3">टीडीएस (आयकर) (वह व्यक्ति जिसकी कटौती की गई हो, इस रकम के कर का प्रत्यय दिया जाएगा)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">ब्याज</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">फीस</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">कुल संदाय</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">शब्दों में कुल संदाय (रु.में)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>करोड़</td><td>लाख</td><td>हजार</td><td>सैकड़ा</td><td>दहाई</td><td>इकाई</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">विशिष्ट अभिस्वीकृति सं.(टीआईएन द्वारा सृजित)</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

*स्वत: अद्यतन किया जाए

**दिन दिन/माह माह/वर्ष वर्ष रुपविधान में"।

[अधिसूचना सं. 67/2022/फा.सं.370142/23/2022-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव

टिप्पण. – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 458 (अ), तारीख 17 जून, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 463(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with sections 194B, 194-IA, 194R, 194S and section 206AB of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (19th Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules),

(a) in rule 30, with effect from the 1st July, 2022—

(i) after sub-rule (2C), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2D) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2), any sum deducted under section 194S by a specified person referred to in that section shall be paid to the credit of the Central Government within a period of thirty days from the end of the month in which the deduction is made and shall be accompanied by a challan-cum-statement in Form No. 26QE.";

(ii) after sub-rule (6C), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6D) Where tax deducted is to be deposited accompanied by a challan-cum-statement in Form No.26QE, the amount of tax so deducted shall be deposited to the credit of the Central Government by remitting it

electronically within the time specified in sub-rule (2D) into the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank.”;

(b) in rule 31, after sub-rule (3C), the following sub-rule shall be inserted with effect from the 1st July, 2022, namely:–

“(3D) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3), every person, being a specified person referred to in section 194S and responsible for deduction of tax under that section shall furnish the certificate of deduction of tax at source in Form No.16E to the payee within fifteen days from the due date for furnishing the challan-cum-statement in Form No.26QE under rule 31A after generating and downloading the same from the web portal specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him.”;

(c) in rule 31A, with effect from the 1st day of July, 2022—

(i) in sub-rule (4), after clause (xvi), the following clause shall be inserted, namely:—

“(xvii) furnish particulars of amount deposited being prerequisite for releasing—

(a) winnings in terms of proviso to section 194B;

(b) benefit or perquisite in terms of first proviso to sub-section (1) of section 194R; and

(c) consideration in terms of proviso to sub-section (1) of section 194S along with the challan details such as BSR code of the bank, date of payment and challan serial number.”

(ii) after sub-rule (4C), the following sub-rule shall be inserted, namely,—

“(4D) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3) of sub-rule (4), every specified person referred to in section 194S and responsible for deduction of tax under that section shall furnish to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), a challan-cum-statement in Form No. 26QE electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5) within thirty days from the end of the month in which the deduction is made.”.

3. In the principal rules, in Appendix II, after Form No. 16D, the following Form shall be inserted with effect from the 1st July, 2022, namely,—

<table>
<tr><td colspan="5">“Form No. 16E</td></tr>
<tr><td colspan="5">[See rule 31(3D)]</td></tr>
<tr><td colspan="5">Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source</td></tr>
<tr><td colspan="2">Certificate No.</td><td colspan="3">Last updated on</td></tr>
<tr><td colspan="2">Name and address of the Deductor</td><td colspan="3">Name and address of the Deductee</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Permanent Account Number or Aadhaar Number of the Deductor</td><td colspan="2">Permanent Account Number or Aadhaar Number of the Deductee</td><td>Financial Year of deduction</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Summary of Transaction(s)</td></tr>
<tr><td>S. No.</td><td>Unique Acknowledgement Number</td><td>Amount paid/credited</td><td>Date of payment/credited (dd/mm/yyyy)</td><td>Amount of tax deducted and deposited in respect of the deductee</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total (Rs.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">DETAILS OF TAX DEPOSITED TO THE CREDIT OF THE CENTRAL GOVERNMENT FOR WHICH CREDIT IS TO BE GIVEN TO THE DEDUCTEE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">S. No.</td><td rowspan="2">Amount of tax deposited in respect of deductee (Rs.)</td><td colspan="3">Challan Identification number (CIN)</td></tr>
<tr><td>BSR Code of the Bank Branch</td><td>Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)</td><td>Challan Serial Number</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Total (Rs.)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Verification</td></tr>
<tr><td colspan="5">I, ……………., son/daughter of …………. in the capacity of ……. (designation) do hereby certify that a sum of (Rs.) ………….. [Rs. …………. (in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, challan-cum-statement of deduction of tax, TDS deposited and other available records.</td></tr>
<tr><td>Place</td><td></td><td colspan="3">(Signature of person responsible for deduction of tax)</td></tr>
<tr><td>Date</td><td></td><td colspan="3">Full name: ”.</td></tr>
</table>

4. In the principal rules, in Appendix II, in form 26Q, with effect from the 1st day of July, 2022 —

(a) for the brackets, words, figures and letters *"[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 194P, 194Q, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]",* the following brackets, words, figures and letters, shall be substituted, namely:—

"[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 194P, 194Q, 194R, 194S, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]";

(b) for the "Annexure", the following "Annexure" shall be substituted, namely:—

"ANNEXURE: DEDUCTEE/PAYEE WISE BREAK UP OF TDS

(Please use separate Annexure for each line-item in Table at Sl. No. 4 of main Form 26Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended… (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number / DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total tax to be allocated among deductees/payees as in the vertical total of Col. 421	
Total interest to be allocated among the deductees/payees mentioned below	

Name of the Deductor/Payer	
TAN	

Sl. No.	**Deductee /payee reference number provided by the deductor/ payer, if available**	**Deductee/ payee code (01-Company 02-Other than company)**	**PAN of the deductee / payee**	**Name of the deductee/ payee**	**Section code (See Note 17)**	**Date of payment or credit (dd/mm/ yyyy)**	**Amount paid or credited**	**Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore as referred to in section 194N (in cases not covered by the first proviso to section 194N)**	**Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 20 lakh but does not exceed Rs 1 crore for cases covered by sub-clause (a) of clause (ii)of first proviso to section 194N**	**Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore for cases coveredby sub-clause (b) of clause (ii) of first proviso to section 194N**	**Total tax deducted**	**Total tax deposited**	**Date of deduction (dd/mm/ yyyy)**	**Rate at which deducted**
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419A]	[419B]	[419C]	[420]	[421]	[422]	[423]
1														
2														
3														
Total														

Reason for non-deduction / lower deduction/ Higher Deduction/ Threshold/ Transporter etc. (See notes 1 to 16)	**Number ofthe certificate under section 197issued by the Assessing Officer fornon-deduction / lower deduction**	**If section code 94B-P is selected, then provide**				**If section code 94R-P is selected, then provide**				**If section code 94S-P is selected, then provide**			
		Amount of tax deposited	**BSR Code of bank**	**Date of payment**	**Challan serial number**	**Amount of tax deposited**	**BSR Code of bank**	**Date of payment**	**Challan serial number**	**Amount of tax deposited**	**BSR Code of bank**	**Date of payment**	**Challan serial number**
[424]	[425]	[426A]	[426B]	[426C]	[426D]	[427A]	[427B]	[427C]	[427D]	[428A]	[428B]	[428C]	[428D]

Verification

I, ..., hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: ………………….. *…………………………………………..*

Signature of the person responsible for deducting tax at source

Date: ………………….. *……….……………………………………..*

Name and designation of the person responsible for deducting tax at source

Notes:

1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
2. Write "B" if no deduction is on account of declaration under section 197A other than the cases mentioned in sub-section (1F) of section 197A.
3. Write "C" if deduction is on higher rate under section 206AA on account of non-furnishing of PAN.
4. Write "D" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person or class of person on account of notification issued under sub-section (5) of section 194A.
5. Write "E" if no deduction is on account of payment being made to a person referred to in Board Circular No. 3 of 2002 dated 28th June 2002 or Board Circular No. 11 of 2002 dated 22nd November 2002 or Board Circular No. 18/2017 dated 29th May 2017.
6. Write "Y" if no deduction is on account of payment below threshold limit specified in the Income-tax Act, 1961.
7. Write "T" if no deduction is on account of deductee or payee being transporter. PAN of deductee or payee is mandatory [section 194C(6)].
8. Write "Z" if no deduction or lower deduction is on account of payment being notified under section 197A(1F).
9. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.
10. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the third proviso to section 194N or on account of notification issued under fourth proviso to section 194N.
11. Write "O" if no deduction is as per the provisions of sub-section (2A) of section 194LBA.
12. Write "P" if no deduction is on account of payment of dividend made to a business trust referred to in clause (d) of second proviso to section 194 or in view of any notification issued under clause (e) of the second proviso to section 194.
13. Write "Q" if no deduction in view of payment made to an entity referred to in clause (x) of sub-section (3) of section 194A.
14. Write "S" if no deduction is in view of the provisions of sub-section (5) of section 194Q.
15. Write "T" if the deduction is on higher rate in view of section 206AB for non-filing of return of income.
16. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
193	Interest on securities	193
194	dividend	194
194A	Interest other than interest on securities	94A
194B	Winnings from lotteries and crossword puzzles	94B
Proviso to section 194B	Winnings from lotteries and crossword puzzles where consideration is made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released	94B-P
194BB	Winnings from horse race	4BB
194C	Payment of contractors and sub-contractors	94C
194D	Insurance Commission	94D
194DA	Payment in respect of life insurance policy	4DA

194EE	Payments in respect of deposits under National Savings Schemes	4EE
194F	Payments on account of repurchase of Units by Mutual Funds or UTIs	94F
194G	Commission, prize etc., on sale of lottery tickets	94G
194H	Commission or Brokerage	94H
194-I(a)	Rent	4-IA
194-I (b)	Rent	4-IB
194J(a)	Fees for Technical Services (not being professional service), royalty for sale, distribution or exhibition of cinematographic films and call center (@2%)	94J-A
194J(b)	Fee for professional service or royalty etc. (@10%)	94J-B
194K	Income in respect of units	94K
194LA	Payment of Compensation on acquisition of certain immovable property	4LA
194LBA(a)	Certain income in the form of interest from units of a business trust to a resident unit holder	4BA1
194LBA(b)	Certain income in the form of dividend from units of a business trust to a resident unit holder	4BA2
194LB	Income in respect of units of investment fund	LBB
194LBC	Income in respect of investment in securitization trust	LBC
194N	Payment of certain amounts in cash	94N
First proviso to section194N	Payment of certain amounts in cash to non-filers	94N-F
194-O	Payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participant	94O
194P	Deduction of tax in case of specified senior citizens	94P
194Q	Payment of certain sums for purchase of goods	94Q
194R	Benefits or perquisites of business or profession*	94R
First Proviso to sub-section (1) of section 194R	Benefits or perquisites of business or profession where such benefit is provided in kind or where part in cash is not sufficient to meet tax liability and tax required to be deducted is paid before such benefit is released*	94R-P
194S	Payment of consideration for transfer of virtual digital asset by persons other than specified persons*	94S
Proviso to sub-section(1) of section 194S	Payment for transfer of virtual digital asset where payment is in kind or in exchange of another virtual digital asset and tax required to be deducted is paid before such payment is released*	94S-P

* Note:— In relation to section 194R and section 194S, the changes shall come into effect from 1st July, 2022.”.

5. In the principal rules, in Appendix II, for Form 26QB, the following Form shall be substituted, namely,—

“Form No. 26QB

[See section 194-IA, rule 30 and rule 31A]

Challan-cum-statement of deduction of tax under section 194-IA

Financial Year	-	Major Head Code*		Minor Head Code*	
Permanent Account Number or Aadhaar Number of Transferee /Payer/Buyer					
Category of Permanent Account Number*		Status of PAN*			
Full Name of Transferee/Payer/Buyer					
Complete Address of Transferee/Payer/Buyer					
		PIN			
Mobile No.		Email ID			
Whether more than one transferee/payer/buyer (Yes/No)					
Permanent Account Number or Aadhaar Number of Transferor /Payee/Seller					
Category of Permanent Account Number*		Status of PAN*			
Full Name of Transferor/Payee/Seller					
Complete Address of Transferor/Payee/Seller					
		PIN			
Mobile No.		Email ID			
Whether more than one Transferor/Payee/Seller (Yes/No)					
Complete Address of Property transferred					

						PIN	
Date of agreement/ booking**		Total Value of Consideration (amount in Rs.)				Payment in installment or lump-sum	
Whether TDS is deducted at Higher rate as per section 206AB (Yes/No)***							
Whether it is last instalment?	Yes ☐	No ☐					
Total amount paid/ credited in previous installments, if any (in Rs.) (A)	Amount paid/ credited currently (B)	Total Stamp duty value of the Property (in Rs.) (C)	Amount on which TDS to be deducted (D) (see note 1)	Date of payment/ credit**	Rate at which deducted (see note 2)	Amount of tax deducted at source (see note 3)	Date of Deduction**
Whether stamp duty value is higher than sale consideration				Yes ☐	No ☐		
Date of Deposit**		Mode of payment	Simultaneously e-tax payment ☐		e-tax payment on subsequent date ☐		
Details of payment of tax deducted at source (amount in Rs.)							
TDS (Income Tax)(Credit of tax to the deductee shall be given for this amount							
Interest							
Fee							
Total Payment							
Total payment in words (in Rs.)							
Crores	Lakhs	Thousands	Hundreds	Tens	Units		
Unique Acknowledgement no. (generated by TIN)							

*To be updated automatically

**In dd/mm/yyyy format

*** From 1st April, 2022, provisions of section 206AB are not applicable in case of tax deduction under section 194-IA.

Notes:

1. (a) In case of installment, where it is not last installment, (A+B);

(b) in any other case (i.e., last installment or lump sum payment), (A+B) or (C), whichever is higher.

2. Tax to be deducted at higher rates in case provisions of section 206AB is applicable. ***

3. (a) In case of installment, where it is not last installment, TDS on (A+B) as reduced by the TDS in earlier instalments, if any;

(b) In any other case (i.e., last installment or lump sum payment), TDS on (A+B) or (C), whichever is higher, as reduced by TDS paid on earlier instalments, if any.".

6. In the principal rules, in Appendix II, for Form 26QC, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM NO. 26QC

[See section 194-IB, rule 30(2B) and (6B) and rule 31A(4B)]

Challan-cum-statement of deduction of tax under section 194-IB

Financial Year		Major Head Code*	2	0	Minor Head Code*	8	0	0
[*Permanent Account Number or Aadhaar Number*] of Tenant/lessee/Payer								
Full Name of Tenant/lessee/Payer*								
Complete Address of Tenant/lessee/Payer								
					PIN			
Mobile No.		Email ID						
Whether more than one Tenant/lessee/Payer (Yes/No)								
Permanent Account Number or Aadhaar Number of Landlord/Lessor/Payee								
Category of *Permanent Account Number**		Status of *Permanent Account Number**						
Full Name of Landlord/Lessor/Payee								

Complete Address of Landlord/Lessor/Payee	
	PIN
Mobile No.	Email ID
Whether more than one Landlord/Lessor/Payee (Yes/No)	
Complete Address of property rented	
	PIN

Period of Tenancy***	Total Value of Rent Paid (Amountin Rs.)	Value of Rent Paid in Last Month (Amountin Rs.)	
Whether TDS is deducted at Higher rate as per section 206AB (Yes/No)****			

Amount Paid/Credited (in Rs.)	Date of payment/credit **	Rate at which deducted **(see note 1)**	Amount of tax deducted at source	Date of Deduction**

Date of Deposit**		Mode of payment	Simultaneous e-tax payment
			e-tax payment on subsequent date

Details of Payment of Tax Deducted at Source (Amount in Rs.)	
TDS (Income Tax) (Credit of tax to the deductee shall be given for this amount)	
Interest	
Fee	
Total payment	
Total Payment in words (in Rs.)	

Crores	Lakh	Thousands	Hundreds	Ten	Units

**To be updated automatically*
***In dd/mm/yyyy format.*
****Against period of tenancy, the number of months the property is rented for the financial year may be mentioned.*
*****From 1st April, 2022, provisions of section 206AB are not applicable in case of deduction under section 194-IB.*

*Note: Tax to be deducted at higher rates in case provisions of section 206AB is applicable. ****".*

7. In the principal rules, in Appendix II, for Form 26QD, the following Form shall be substituted, namely,—

Form No.26QD

[See section 194M, rule 30(2C), rule 30(6C) and rule 31A (4C)]

Challan-cum-statement of deduction of tax under section 194M

Financia lYear	-	Major Head Code*		Minor Head Code*	
Permanent Account Number(PAN) or Aadhaar No. of deductor					
Full Name of Deductor*					
Complete Address of deductor					
					PIN

Mobile No.		Email ID	
Permanent Account Number(PAN) or Aadhaar no. of Deductee			
Category of PAN*		Status of PAN*	
Full Name of Deductee			
Complete Address of Deductee			
		PIN	
Mobile No.		Email ID	
Nature of payment (work in pursuance of a contract/ commission/ brokerage or fees for professional services)			
Date of contract/agreement**	Aggregate of payments/credit during theperiod from 1st April to the end of the month in which the payment has been made/ credited.		
Is it a case of non-deduction/Lower deduction onaccount of certificate under section 197? (Please Tick Yes/No)	☐ Yes ☐ No	Number of the certificate under section 197 issued by the Assessing Officer fornon-deduction or lower deduction.	
Whether TDS is deducted at higher rate as per section 206AB (Yes/No)***			

Amount paid/credited (in Rs.)	Date of payment/credit**	Rate at which deducted (see note 1)	Amount of tax deducted at source	Date of deduction**

Date of deposit**		Mode of payment	Simultaneous e-tax payment
			e-tax payment on subsequent date

Details of Payment of Tax Deducted at Source (Amount in Rs.) TDS (Income Tax) (Credit of tax to the deductee shall be given for this amount) Interest Fee Total payment Total payment in Words (in Rs.)

rores	Lakhs	Thousands	Hundreds	Tens	Units

** To be updated automatically*
*** In dd/mm/yyyy format.*

**** From 1st April, 2022, provisions of section 206AB are not applicable in case of deduction under section 194M.*

*Note: Tax to be deducted at higher rates in case provisions of section 206AB is applicable. ***".*

8. In the principal rules, in Appendix II, after Form 26QD, the following Form shall be inserted with effect from 1st July, 2022, namely:—

"Form No. 26QE

[See section 194S, rule 30 (2D) and (6D) and rule 31A(4) and (4D)]

Challan-cum-statement of deduction of tax under section 194S by specified persons

Financial Year	-	Major Head Code*	Minor Head Code*
Permanent Account Number or Aadhaar Number of deductee			
Category of Permanent Account Number*		Status of PAN*	
Full Name of deductee			
Complete Address of deductee			
		PIN	
Mobile No.		Email ID	
Permanent Account Number or Aadhaar Number of deductor			
Category of Permanent Account Number*		Status of PAN*	
Full Name of deductor			

Complete Address of deductor					
			PIN		
Mobile No.		Email ID			
Date of transfer of Virtual digital asset (VDA)		Total Value of Consideration (amount in Rs.)		Whether payment made in kind or in exchange of another VDA	YES ☐ NO ☐
If yes, then provide		Challan identification number	BSR code of bank branch	Date on which tax deposited	Challan serial number
Amount of tax paid (in Rs.)					
Amount paid/ credited either in cash or kind or in exchange of another VDA (in Rs.)	Date of payment/ credit**	Rate at which deducted	Amount of tax deducted at source	Date of Deduction**	
Date of Deposit**		Mode of payment		Simultaneously e-tax payment	
				e-tax payment on subsequent date	
Details of payment of tax deducted at source (amount in Rs.)					
TDS (Income Tax)(Credit of tax to the deductee shall be given for this amount)					
Interest					
Fee					
Total Payment					
Total payment in words (in Rs.)					
Crores	Lakhs	Thousands	Hundreds	Tens	Units
Unique Acknowledgement no. (generated by TIN)					

*To be updated automatically

**In dd/mm/yyyy format".

[Notification No. 67/2022/F. No. 370142/23/2022-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy.

Note.– The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 458(E) dated 17.06.2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.22 11:46:21 +05'30'